(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर   प्रकरण - 903-एम/14

196/निगरानी/रेस्टोरेशन

बाबू भाई एवम् अन्य - - - प्रार्थीगण

विरुद्ध

गिरधारीलाल एवम् अन्य ——— अनावेदकगण

जिला उमरिया के प्र. क्र. 3889 तीन/14 निगरानी (डॉ. मधु खरे, सदस्य) के पुनर्स्थापन हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत भूराजस्व संहिता 1959

दिनांक 3.3.16 को श्री प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत

3.3.16

अ. 3.16

श्रीमान्

प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है।

(1) यह कि उपरोक्त प्रकरण आज सुनवाई हेतु पेशी नियत थी परन्तु गण के अभिभाषक एस. के. अवस्थी के अन्य प्रकरण माननीय न्यायालय में नियत थे।

(2) यह कि अभिभाषक महोदय इस माननीय न्यायालय की खण्डपीठ में व्यस्त होने के कारण समय पर माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अनुपस्थिति सद्भावना पूर्ण होकर क्षमा योग्य है।

(3) यह कि अभिभाषक महोदय की त्रुटि के कारण पक्षकार को दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

(4) यह अभिभाषक महोदय द्वारा माननीय न्यायालय को भी मौखिक रूप से अनुपस्थिति का कारण निवेदन किया है।

(5) यह कि प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाना न्यायोचित है।

अतः यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायहित में प्र. क्र. 3889-तीन/14 पुनर्स्थापित किये जाने बाबत आदेश प्रदान किये जाने की कृपा की जावे।

दिनांक 3.3.16

प्रार्थी
बाबू भाई आदि — प्रार्थीगण
द्वारा अभि.
3.3.16

रेस्टो० 1035-III/16 जिला उ०मी/सा

3.3.16	प्रस्तुतकार श्री एस० के० अवस्थी अधिवक्ता की रेस्टोरेशन पर सुना गया। आवेदक अधि द्वारा रेस्टोरेशन आवेदन

पीछे देखिये

रे०रो० 9035-III/16 शिक्षा 3 अनु०

समय सीमा में प्रस्तुत किया गया है। रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल निगरानी सुनवाई एवं निस्तारण के लिये पुनःस्थापित की जाती है। पत्रावली सम्बद्ध रिकार्ड हो।

2/12/14